

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 752/14-1 दिनांक, मेरठ 04, सितम्बर, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण अधिनियम 1980)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- मैसर्स, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ द्वारा मेरठ-बागपत-सोनीपत रोड़ के कि०मी० 53 (Ch.52.500) अन्दर खसरा नम्बर 586 एवं 589 ग्राम मलियाना, तहसील सदर व जिला मेरठ पर बी०पी०सी०एल० का रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.055911 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/42718/2019)

सन्दर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ का पत्रांक 809/14-1 (व०भू०ह०) दिनांक 02.09.2020

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन०के० जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक 752/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(एन०के० जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

भाग -III

मैसर्स, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ द्वारा मेरठ-बागपत-सोनीपत रोड के कि०मी० 53 (Ch.52.500) अन्दर खसरा नम्बर 586 एवं 589 ग्राम मलियाना, तहसील सदर व जिला मेरठ पर बी०पी०सी०एल० का रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.055911 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/42718/2019)

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सूझावों से सहमत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 04-09-2020

हस्ताक्षर

स्थान :- मेरठ
सरकारी मोहर-

नाम और पदनाम -

(एन०के० जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ